न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी जिला–पाली

पीठासीन अधिकारी– श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत (R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या – 28/2011

तारीख निर्णय – 31/8/2022

वादीगण :–

1. ढगलसिंह पुत्र शंकरजी, आयु–बालिग
2. शम्भुसिंह पुत्र शंकरजी, आयु–बालिग
   जातिगण–दरोगा(रावणा राजपुत), निवासीगण–कोट सोलंकीयान, तहसील–देसूरी, जिला–पाली (राज.)
3. मृतक देवा उर्फ देवीसिंह पुत्र श्री पदाजी के वारिसान
   (अ)– उषा कंवर पुत्री देवा उर्फ देवीसिंह, पत्नी भंवरसिंह, जाति–रावणा राजपुत निवासी–दुजाणा, तहसील–बाली, जिला–पाली, राज.
   (ब)– पवन कंवर पुत्री देवा उर्फ देवीसिंह, पत्नी बाबुसिंह, जाति–रावणा राजपुत निवासी–फालना, तहसील–बाली, जिला–पाली, राज.
   (स)– शारदा कंवर पुत्री देवा उर्फ देवीसिंह, पत्नी अमरसिंह, जाति–रावणा राजपुत निवासी–सोजत, तहसील–सोजतसिटी, जिला–पाली, राज.
   (द)– लक्ष्मी कंवर पुत्री देवा उर्फ देवीसिंह, पत्नी सोहनसिंह, जाति–रावणा राजपुत निवासी–रानी, तहसील–रानी, जिला–पाली, राज.
   (य)– ओमप्रकाश पुत्र देवा उर्फ देवीसिंह, जाति–रावणा राजपुत निवासी–कोट सोलंकीयान, तहसील–देसूरी, जिला–पाली, राज.
4. सखा उर्फ सुखसिंह पुत्र श्री पदाजी, आयु–बालिग जाति–दरोगा (रावणा राजपुत), निवासी–कोट सोलंकीयान, तहसील–देसूरी, जिला–पाली, (राज.)

–: विरूद्ध :–

प्रतिवादीगण :–

1. छोगाराम गोदपुत्र नेना आयु–वयस्क, जाति–मेगवंशी, निवासी–कोट सोलंकीयान, तहसील–देसूरी, जिला–पाली (राज.)
2. श्रीमान तहसीलदार साहब, देसूरी (राज्य सरकार की ओर से भूमिधारी)

वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188, 92,ए राजस्थान सरकार काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :–

1– अधिवक्ता हुकुमसिंह सोलंकी वादीगण की ओर से।
2– अधिवक्ता भरत सोलंकी प्रतिवादीगण की ओर से।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

निर्णय **दिनांक** 31/8/2022

वाद के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा ग्राम कोट सोलंकियान तहसील देसूरी में वादीगण की खातेदारी स्थित पुराने खसरा नम्बर 537 मी. रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 537/3 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 543 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा कुल रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा की जमीन शंकर, देवा, सखा पिसरान पदा कौम दरोगा निवासी कोटसालेकियान की खातेदारी कब्जा एवं काश्त सुदा विद्यमान है। प्रमाण स्वरूप खतौनी संवत् 2035 से 2038 की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न प्रस्तुत है। उक्त आराजी को आगे वाद में विवादग्रस्त आराजियात से सबोधित किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.15 14:32:08 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 02 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

क्रमश (2) न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, देसूरी मुकदमा नम्बर 28/2011 अनवान ढगलसिंह व अन्य बनाम छोगाराम वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188,92ए आर.टी.एक्ट एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट

यह कि दौराने भू–प्रबंध कार्यवाही के पुराने खसरा नमबर 537 मी., 537/3, 543 के नये खसरा नम्बर 1085 रकबा 0.4100 हेक्टर व खसरा नम्बर 1086 रकबा 0.3300 हेक्टर बनाये गये प्रमाण स्वरूप मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रतिलिपि वाद के साथ संलग्न प्रस्तुत है।

यह कि पुराने खसरा नम्बर 537 मी., 537/3, 543 कुल रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा की आराजियात शंकर, देवा, सखा पिसरान पदा कौम दरोगा की खातेदारी की कब्जा एवं काश्तसुदा विद्यमान है एवं शंकर पुत्र पदा की मृत्यु हो चुकी है जिससे शंकर पुत्र पदा के हिस्से की आराजी पर कब्जा काश्त उनके वारिसान वादी संख्या 1 व 2 का है एवं उक्त आराजी पर वादीगण का आज दिन तक बहैसियत मालिक के कब्जा काश्त चला आ रहा है, परन्तु सेटलमेन्ट के दौराने भू–प्रबंध कार्यवाही के दौरान नये खसरा नम्बर 1085 रकबा 0.4100 हेक्टर व खसरा नम्बर 1086 रकबा 0.3300 हेक्टर की आराजी बिना किसी आधार के गैर कानूनी तरीके से पुनमा वल्द भाना कौम रावणा राजपूत निवासी कोट सोलंकियान के नाम प उक्त नये खसरा नम्बर 1085 व 1086 की आराजी सेटलमेन्ट वालो ने बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से गैरकानूनी तरीके से पूनमा वल्द भाना के नाम पर खातेदारी दर्ज कर दी।

जबकि पूनमा वल्द भाना का खसरा नम्बर 1085 व 1086 की जमीन पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा एवं सेटलमेन्ट विभाग ने खसरा नम्बर 1085 व 1086 की जमीन का गैरकानूनी तरीके से पर्चा खतोनी भी पूनमा वल्द भाना के नाम पर कर दी ऐसा करने का सेटलमेन्ट विभाग को कोई कानूनी अधिकार नहीं था। एवं सेटलमेन्ट को शंकर, देवा, सखा पिसरान पदा के नाम की खातेदारी समाप्त करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था।

सेटलमेन्ट विभाग को पुराने इन्द्राज सम्वत् 2035 से 2038 की खतौनी के मुताबिक नया इन्द्राज करना था, परन्तु सेटलमेन्ट विभाग ने एसा नहीं करके पर्चा खतौनी गैर कानूनी तरीके से पूनमा वल्द भाना के नाम पर जारी कर दिया जबकि पूनमा वल्द भ्झाना का कभी भी पुराने खसरा नम्बर 537 मी., 537/3, 543 जिसके नये खसरा नम्बर 1085 व 1086 पर कभी भी काश्त काश्त नहीं रहा, उक्त जमीन पर बहैसियत मालिक के आज दिन तक कब्जा काश्त वादीगण का ही चला आ रहा है।

यह कि पुनमा वल्द भाना ने अपने रेकर्ड में गलत नाम आने का फायदा उठाकर उक्त नये खसरा नम्बर 1085 व 1086 की आराजी को अपना कब्जा नहीं होते हुए भी एवं पुनमा की खातेदारी की भूमि होते नहीं हुए भी उक्त भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 को हस्तान्तरण कर दी जो हस्तान्तरण वादीगण के विरूद्ध बेअसर एवं ऐसे हस्तान्तरण के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 को कोई कानूनन खातेदारी अधिकार पैदा नहीं होते है एवं उक्ता हस्तान्तरण शून्य है। व विवादग्रस्त आराजियात पर पुनमा वल्द भाना का कभी भी कब्जा नही रहा एवं विवादग्रस्त आराजी पर कभी भी छोगाराम गोद पुत्र नेना, छोगाराम पुत्र नेना का कब्जा काश्त नहीं रहा। [illegible] में भी उक्त नये खसरा नम्बर 1085, 1086 की जमीन पर प्रतिवादी संख्या 1 को काई कब्जा/काश्त नहीं है।

पूनमा वल्द भाना ने प्रतिवादी संख्या 1 [illegible] में [illegible] विक्रय विलेख निष्पादित किया वो विक्रय शून्य है एवं वादीगण संख्या 1 व 2 मृतक [illegible] के वारिस है एवं वादी संख्या 3 व 4 अभी भी जीवित है [illegible] अन्दर कभी भी अपनी खातेदारी भूमि को पूना वल्द भाना को हस्तान्तरण नहीं की एवं [illegible] ने कभी भी प्रतिवादी संख्या 1 को भूमि हस्तान्तरण नहीं की, फिर भी सेटलमेन्ट वालों ने गैरकानूनी तरीके से बिना किसी आधार के पुनमा वल्द भाना के नाम पर दर्ज कर दी। सेटलमेन्ट विभाग का ऐसा इन्द्राज शुन्य है एवं पूनमा वल्द भाना ने गलत नाम का फायदा उठाकर जमीन प्रतिवादी संख्या 1 को हस्तान्तरण

पेज लगातार 03 पर...

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.15 14:32:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

कर दी जो हस्तान्तरण विलेख भी शुन्य है जिससे उक्त वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी के खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट एवं पुराने इन्द्राज के मुताबिक नया इन्द्राज करने हेतु धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत किया है।

प्रतिवादी संख्या 1 ने पूनमा वल्द भाना से गलत दस्तावेज अपने नाम पर करवाकर रेकर्ड में अपने नाम का इन्द्राज करवा दिया एवं अब प्रतिवादी संख्या 1 रेकर्ड में नाम का फायदा उठाकर उक्त जमीन को खुद-बुर्द करने पर आमादा है एवं हस्तारन्तरण करने पर आमादा है एवं जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने तथा वादीगण को बेदखल करने पर आमादा है जिससे उक्त वाद स्थायी निषेधाज्ञा हेतु धारा 188, 92ए आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है।

यह है कि प्रतिवादी संख्या 2 राज. सरकार जरिये भूमिधारी एवं वाद पत्र अरजेन्ट नेचर को होने से एवं प्रतिवादी संख्या 1 का नाम पुनमा वल्द भाना द्वारा गलत दस्तावेज कराने से रेकर्ड में आने से प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दखलन्दाजी करने, जमीन को खुद-बुर्द करने, हस्तान्तरण करने की धमकी देने से वाद अरजेन्ट नेचर का होने से धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस की धूट हेतु पृथक से प्रार्थना पत्र पेश किया है अतः धारा 80 सी.पी.सी. के नोटिस की छूट दिलाई जावें।

अतः निवेदन किया कि मौजा ग्राम कोट सोलंकियान में स्थित आराजी पुराने खसरा नम्बर 537 मी., 537/3, 543 कुल रकबा 07 बीघा 2 बिस्वा, किस्म बा.दो. की आराजी के नये खसरा नम्बर 1085 रकबा 0.4100 हेक्टर किस्म बा.दो. खसरा नम्बर 1086 रकबा 0.3300 हेक्टर किस्म बा.दो. की आराजी वादीगण की खातेदारी की घोषित की जावें एवं वादीगण के नाम की खातेदारी का इन्द्राज राजस्व रेकर्ड मे किया जावें एवं उक्त आराजी मे से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हटाया जावें एवं वादीगण की पुरानी खातेदारी का इन्द्राज पुराने इन्द्राज के मुताबिक किया जावें। तथा प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जावें कि वो वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी ,जमीन को खुर्द-बुर्द, हस्तान्तरण, हस्तक्षेप, नहीं करें न ही किसी अन्य से करावें। व मौके की स्थिति परिवर्तमन करने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से रोका जावें।

प्रतिवादी संख्या 1 की तरफ से पूर्व में अधिवक्ता श्री महेन्द्र शर्मा द्वारा वकालतनामा एवं जवाब दावा पेश किया उनकी मृत्यु के पश्चात् अधिक्ता श्री भरत सोंलकी द्वारा वकालतनामा पेश किया गया।

अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा जरिये वादोत्तर पैरा संख्या 2 के जबाब में बताया कि पुराने खसरा नम्बर 537 मी., 537/3, 543 के नये खसरा नम्बर 1085 व 1086 नहीं बने है। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा मिलान क्षेत्रफल में नये खसर नम्बर 1085 व 1086 को पुराने खसरा नम्बर 537 मी., 537/3, 543 से बनना गलत बताया है। ये नये खसरा नम्बर 1085 रकबा 0.4100 हेक्टर व खसरा नम्बर 1086 रकबा 0.3300 हेक्टर प्रतिवादी संख्या 1 एक की खरीद सुदा खातेदार एवं आधिपत्य की है। जो कि प्रतिवादी अनुसूचित जाति के सदस्य की खातेदारी की है। एव इस पर वक्त खरीद दिनांक 14.12.1987 से लगातार बहैसियत खातेदार प्रतिवादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.15 14:32:08 IST
Reason: SelfAttested

नये खसरा नम्बर 1085 व 1086 की [illegible] पुत्र भाना रावणा राजपूत की खातेदारी की कब्जा सदा कृषि [illegible] बीघा की आराजी है, जो सेटलमेन्ट विभाग द्वारा [illegible] भाना की खातेदारी दर्ज की है। इस खसरा नम्बर 1085 व 1086 पर कदीमी से कब्जा काश्त पुनमा पुत्र भाना की ही चला आ रहा था व पुनमा की खातेदारी की कब्जा सुदा था, जिसको सेटलमेन्ट विभाग द्वारा मात्र मिलान क्षेत्रफल में गलत रूपेण पुराने खसरा नम्बर 537 मी., 537/3, 543 से बनना बता दिये जाने मात्र को आधार बनाकर वादीगण द्वारा गलत रूपेण हस हडपने की बदनियत से यह गलत वाद पेश किया है।

पेज लगातार 04 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

क्रमश (4) न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, देसूरी मुकदमा नम्बर 28/2011 अनवान ढगलसिंह व अन्य बनाम छोगाराम वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188,92ए आर.टी.एक्ट एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट

वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1085 व 1086 उनकी अन्य खातेदारी भूमि के साथ प्रतिवादी संख्या 1 एवं उसके पिता नैनाराम से प्रतिफल राशि प्राप्त कर बजरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 14.12.1987 के प्रतिवादी संख्या 1 को सुपुर्द कर दिया जब से लगातार शांतिपूर्वक बिना किसी दखल के खुलेआम बतौर खातेदार के इस वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1085 व 1086 पर प्रतिवादी का कब्जा चला आ रहा है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 इसका विधिक खातेदार टिनेन्ट है। एवं प्रतिवादी बोनाफाईड परचेजर है।

नये खसरा नम्बर 1085 व 1086 पूनमा पुत्र भाना की खातेदारी की कब्जा काश्त सुदा थी, जिसके प्रमाण में मिलस बन्दोवस्त सम्वत् 2041 से 2060 की प्रतिलिपि एवं जमाबंदी खतौनी सम्वत् 2035 से 2038 की प्रति वादोत्तर के साथ संलग्न प्रस्तुत है।

असल में वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1085 व 1086 न तो वादीगण की खातेदारी भूमि की थी एवं न ही इस पर वादीगण या उनके किसी पूर्वजों का कभी कब्जा काश्त ही रहा है। यह वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1085 व 1086 पूनमा पुत्र भाना की खातेदारी की कब्जा सुदा थी, जो पूनमा ने बहैसियत खातेदार के विधिक रूप से बएवज प्रतिफल राशि के बजरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 14.12.1987 के प्रतिवादी संख्या 1 एव उसके पिता नैनाराम को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया तब लगातार बहैसियत खातेदार के आजतक इस पर कब्जा काश्त प्रतिवादी संख्या 1 इसका खातेदार टिनेन्ट है व काबिज है। अतः उक्त रजिस्टर्ड विक्रय विलेख विधिक हस्तान्तरण है, जो किसी प्रकार से शून्य नहीं है एवं उक्त विधिक हस्तान्तरण के जरिये प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार हुआ, जो तमाम इन्द्राज विधिपूर्व एवं वैद्य है जो किसी प्रकार से शून्य नहीं है। वादीगण इस वादग्रस्त आराजी को अपनी खातेदारी की घोषि कराने के अधिकारी नहीं है वादीगण द्वारा यह खातेदारी घोषणा का गलत वाद पेश किया है जो काबिल खारिज के है।

इतने लम्बे समय से पिछले 23 वर्षो से भी अधिक समय से लगातार बिना किसी दखल के बहैसियत खातेदार अधिकार के प्रतिवादी का कब्जा चला आ रहा है जिससे कानूनन प्रतिवादी का एडवर्स पजेशन भी हो चुका है जिससे भी इसके तमाम खातेदारी हक अधिकार प्रतिवादी में निहित हो चुके है व इतने लम्बे समय तक वादीगण का इस कब्जा एवं उपयोग उपभोग नहीं रहने व हक क्लेम नहीं करने से अगर मान भी लिया जावे कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1085 से 1086 वादीगण की किसी पुरानी खातेदारी से बने हो तो भी उसके कानूनन हक अधिकार उपरोक्त कारणो व परिस्थितियों में समाप्त हो चुके है एवं प्रतिवादी अनुसूचित जाति के सदस्यों की खातेदारी कृषि भूमि, वादीगण स्वर्ण जाति के सदस्यों के नाम कानूनन खातेदारी की नहीं हो सकती है। इन परिस्थितियों में भी वादीगण का वाद काबिले खारिज के है।

वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1085 व 1086 प्रतिवादी अनुसूचित जाति के सदस्य की खातेदारी की है जिससे कानूनन वादग्रस्त आराजी वादीगण स्वर्ण जाति के सदस्यों के नाम खातेदारी घोषित नहीं की जा सकती है। जिससे वादीगण का वाद कानूनन मेन्टेनेबल नहीं है।

वादग्रस्त आराजी पूनमा की रिकॉर्डेड खातेदारी की थी जो प्रतिवादी द्वारा बएवज जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के खरीद की है एवं [illegible] बोनाफाईड परचेजर होकर खातेदार काबिज है। जो विधिपूर्ण एवं वैद्य अन्तरण है [illegible] रजिस्टर्ड [illegible] जिसको सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त कराये बिना या इस [illegible] घोषित [illegible] वादीगण का यह वाद कानून मेन्टेनेबल नहीं है। अतः वादोत्तर स्वीकार कर वादीगण का वाद गलत, मिथ्या एव सारहीन होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज फरमावे।

मिलान क्षेत्रफल अनुसार वर्तमान आराजी नम्बर 1085 एवं 1086 गत आराजी नम्बर 543 एव 537/3 से बने है। 537 मी. से नहीं बने है। वादीगण द्वारा बताया गया परिवर्तन दौराने सेटलमेन्ट हुआ है, जो वादीगण स्वयं साबित करे एवं वाद पत्र में वर्णित शेष तथ्य वादी स्वयं साबित करें।

पेज लगातार 05 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.15 14:32:08 IST
Reason: SelfAttested

क्रमश (5) न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, देसूरी मुकदमा नम्बर 28/2011 अनवान ढगलसिंह व अन्य बनाम छोगाराम वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188,92ए आर.टी.एक्ट एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट

न्यायालय द्वारा दिनांक 01.09.2015 को प्रकरण में निम्न तनकी कायम की गई:–

(1) आया कोट सोलंकियान के पुराने खसरा नम्बर 537 मी. रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 537/3 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 543 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा कुल रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा की जमीन शंकर, देवा, सखा पि. पदाजी की खातेदारी की है ?............. जिम्मे वादी।

(2) आया पुराने खसरा नम्बर 537 मी., खसरा नम्बर 537/3, खसरा नम्बर 543 के नये खसरा नम्बर 1085 व 1086 बनाये गये ? .... जिम्मे वादी।

(3) आया खसरा नम्बर 1085 व 1086 की आराजी बिना किसी आधार के भू–प्रबंध कार्यवाही के दौरान पूनमा वल्द भाना के नाम खातेदारी दर्ज कर दी?..... जिम्मे वादी।

(4) आया खसरा नम्बर 1086 रकबा 0.3300 हैक्टर, ,खसरा नम्बर 1085 रकबा 0.4100 हैक्टर की जमीन गलत रेकर्ड में नाम का फायदा उठाकर पूनमा ने प्रतिवादी को बेचान की गई जो बेचान शून्य है? .... जिम्मे वादी।

(5) आया खसरा नम्बर 1085 रकबा 0.4100 हेक्टर, खसरा नम्बर 1086 रकबा 0.3300 हेक्टर की खातेदारी वादीगण घोषित करवाने के अधिकारी है?..... जिम्मे वादी।

(6) आया वादीगण निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है? .... जिम्मे वादी।

(7) आया वादग्रस्त आराजी रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 14.12.1987 के प्रतिवादी ने खरीद की है जो विधिपूर्ण एवं वैध अन्तरण है जो स्टेण्ड है?..........जिम्मे प्रतिवादी।

(8) आया वादीगण ने कब्जा प्राप्त करने का वाद नहीं किया है? .....जिम्मे प्रतिवादी।

(9) आया सवर्ण जाति के सदस्यों के नाम खातेदारी घोषित नहीं की जा सकती है ? .. .. जिम्मे प्रतिवादी।

अधिवक्ता वादीगण ने शहादत हेतु वादी के गवाह पी.डब्ल्यू–1 सुखसिंह, हिम्मतसिंह पी.डब्लू.डी 2 एवं गवाह लक्ष्मणसिंह पी.डब्लू.ड 3 के शपथ पेश किये एव बयान कलमब्द्ध करवाये गये जिसकी जिरह अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा की गई। वादीगण द्वारा अपने वाद के समर्थन में निम्न दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये :–

1. प्रदर्श 1 – जमाबंदी सम्वत् 2035 से 2038
2. प्रदर्श 2 – मिलान क्षेत्रफल
3. प्रदर्श 3 – पर्चा खतौनी
4. प्रदर्श 4– मिसल बन्दोवस्त 2041 से 2060
5. प्रदर्श 5 – गिरदावरी सम्वत् 2035
6. प्रदर्श 6 – गिरदावरी सम्वत् 2035
7. प्रदर्श 7 – गिरदावरी सम्वत् 2035
8. प्रदर्श 8 – जमाबंदी सम्वत् 2063 से 2066
9. प्रदर्श 9– बेचना लिखत

अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 1 छोगाराम गोदपुत्र नैनाजी डी.डब्लू. 1 ने शपथ पत्र पेश किये [illegible] गये जिसकी जिरह अधिवक्ता वादीगण द्वारा की गई। अधिवक्ता प्रतिवादी [illegible] निम्न दस्तावेज प्रदर्श करवाये :–

1. प्रदर्श A1-A - रजिस्टर्ड विक्रय विलेख [illegible] 1987

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.15 14:32:08 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र के प्रकरण में साक्ष्य के पश्चात [illegible] के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। एवं लिखित बहस भी पेश की गई है। दौरान बहस अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम कोट सोलकित तहसील [illegible] के पुराने ख.नं. 537 मी. रकबा 2 बीघा 15 विस्वा, ख.नं 537/3 रकबा 1 बीघा 15 विस्वा, ख.नं. 543 रकबा 2 बीघा 12 विस्वा कुल रकबा 7 बीघा 2 विस्वा की जमीन पूर्व में शंकर, देवा, सखा, पिसरान पदा की खातेदारी कब्जा सुदा है। जमाबंदी प्रदर्श 01 संवत 2035 से 2038 की पेश की है जो वादीगण की खातेदारी की है।

पेज लगातार 06 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

पुराने खसरा नम्बरान के नए खसरा नम्बर 1085 रकबा 0.41 हे. व ख.नं. 1086 रकबा 0.33 हे. बनाए गए, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 02 है। दौराने सेटलमेंट ख.नं. 1085, 1086 की जमीन पूनमा पुत्र भाना के नाम गलत इन्द्राज कर दी गई। जो प्रदर्श 03 है। जिसका सेटलमेंट को अधिकार नहीं है।

परिशोधन पत्र प्रदर्श 05 में गलत इन्द्राज किया जो किस आधार पर पूनमा का किया, बिना किसी आधार के न कोई रजिस्ट्री, न कोई लिखित, न कब्जा है।

वादीगण ने प्रतिवादी छोगाराम व उसके पिता नैना को अपनी जमीन कभी भी बेचान नहीं की। मौके पर वर्तमान में भी वादीगण शंकर, देवा, सखा विसरान पदा का ही ख.नं. 1085, 1086 पर कब्जा चला आ रहा है।

प्रतिवादी छोगाराम ने पूनमा पुत्र भानाजी से जमीन खरीद की गई जिसकी रजिस्ट्री दिनांक 14.12.87 की है। दस्तावेज पंजीकृत है। दस्तावेज प्रदर्श A– 1 –A मार्क A से B में 7 बीघा 19 विस्वा खरीदी है ख.नं 603, 540, 1128, 1143 खरीदी पूनमा से नेनाराम ने। उक्त विक्रय पत्र में वादीगण के ख.नं. 537 मी. 537/3, 543 कुल जमीन 7 बीघा 2 विस्वा का वर्णित नहीं है। दूसरो की जमीन खरीदी है। जमीन मुख्य सड़क पर स्थित है।

प्रतिवादी छोगाराम ने अपने बयानों में जिरह में वर्णित किया कि प्रदर्श A– 1 –A में वर्णित जमीन ही खरीदी है। वादीगण की जमीन खरीद से इंकार किया है। वादीगण की जमीन सड़क पर डाक बंगले के पास होना भी छोगाराम ने अपने बयानों में स्वीकार किया है। यदि उक्त जमीन खरीदी होती तो पड़ोस में डाक बंगला एवं रास्ता वर्णित होता। धारा 42 आर.टी. एक्ट लागू नहीं होती है। ख.नं. 603, 540, 1128, 1143 पर वादीगण का कोई क्लेम नहीं है। वाद स्वीकार कर वादीगण के नाम की खातेदारी की घोषित करावे। प्रतिवादी छोगाराम का नाम राजस्व रिकोर्ड से हटाया जावे।

अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 01 की बहस सुनी गई एवं लिखित बहस भी पेश की गई। अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपनी बहस में व्यक्त किया कि सेटलमेंट विभाग की गलती को आधार बनाकर वाद पेश किया है। विवादित 1085, 1086 खसरा नम्बर को वादीगण ने खातेदारी घोषित का वाद पेश किया है। पूनमा पुत्र भाना, पदा पुत्र भाना दोनों भाई है। पदा पुत्र भाना के वारिसान वादीगण है। पूनका पुत्र भाना की जमीन 14.12.1987 को क्रय की। प्रदर्श A– 1 –A . प्रदर्श 11– A पेज नम्बर 2 पैरा नम्बर 2 उक्त जमीन के नए ख.नं. 489, 1085, 1086 बने। उक्त जमीन पूनमा पुत्र भाना से खरीदी। पिता की मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तरकरण भरा। विक्रय विलेख को चैलेंज नहीं किया। अतः आज की तारीख में प्रभावी है।

पूनमा/भाना खातेदार जिनसे जरिए रजिस्टर्ड विक्रय विलेख खरीदी, तब से खातेदार। पूनमा पुत्र भाना ने अपनी खातेदारी ही बेचान की।

A से B भाग विक्रय विलेख में वर्णित ख.नं. पूनमा/भाना की जमीन खरीदी। प्रतिवादी अनुसूचित जाति का है, जिसकी खातेदारी जनरल को नहीं दी जा सकती। प्रदर्श A– 1 –A में वादी देवी सिंह के साक्ष्य के रूप में हस्ताक्षर है। अर्थात वक्त बेचान से वादीगण को जानकारी है। वादीगण के गवाहानों का पूर्णतः खंडन किया गया। वादीगण का वाद खारिज किया जाए।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपनी लिखित बहस में व्यक्त किया कि ग्राम कोट सोलंकियान तहसील देसूरी में पुराने ख.नं. 537 मी., 537/3, 543 के नए ख.नं. 1085 व 1086 नहीं बने है। सेटलमेंट विभाग द्वारा मिलान क्षेत्रफल में [illegible] 1085 व 1086 को पुराने ख.नं. 537 मी., 537/3, 543 से बनना गलत बताया है। नए [illegible] 1085 रकबा 0.41 हेक्टर व ख.नं. 1086 रकबा 0.33 हेक्टर [illegible] प्रतिवादी [illegible] खातेदारी एवं आधिपत्य की है, जो कि अनुसूचित जाति के सदस्य प्रतिवादी छो[illegible] की भूमि है। एवं वक्त खरीद से दिनांक 14.12.1987 से लगातार बहैसियत खातेदार प्रतिवादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसमें वादीगण का कोई हक हिस्सा नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.15 14:32:08 IST
Reason: SelfAttested

तनकिवार विवेचन निम्नानुसार है :–

तनकी नम्बर 01– आया कोटसोलंकियान के पुराने खसरा नम्बर 537 मी., 537/3, 543 शंकर, देवा, सखा पिता पदाजी की खातेदारी है – जिम्मेवादीगण

पेज लगातार 07 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

उक्त तनकियात को साबित करने की जिम्मेदारी वादीगण की थी। वादीगण ने वादपत्र में वर्णित किया कि विवादित आराजियात पुराने ख.नं. 537 मी. रकबा 2 बीघा 15 विस्वा, ख.नं. 537/3 रकबा 1 बीघा 15 विस्वा, ख.नं. 543 रकबा 2 बीघा 12 विस्वा कुल किता 3 रकबा 7 बीघा 2 विस्वा जमीन शंकर, देवा, सखा पिसरान पदा कौम दरोगा की खातेदारी कब्जा काश्त थी।

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त कथन को अस्वीकार किया गया।

वादीगणों द्वारा तनकियात के पक्ष में प्रस्तुत साक्ष्य प्रदर्श–1 जमाबंदी संवत् 2035 से 2038 के अनुसार ख.नं. 537 मीन, 537/3, 543 कुल रकबा 7 बीघा 2 विस्वा शंकर, देवा, सखा पिता पदा कौम दरोगा की खातेदारी है।

गवाहों के बयानों का परीक्षण किया गया। PW–1 गवाह सुखराम वादी ने जिरह में ख. नं. 537, 543 स्वयं की खातेदारी होना बताया है। एवं रकबा 7 बीघा 2 विस्वा बताया है। नवीन नंबर 1086 होना बताया है। विवादित खसरा को सेटलमेंट के दौरान नैनाराम, छोगाराम के नाम गलत रूप से चढना बताया है। अपने बयानों में प्रदर्श–1 जमाबंदी संवत् 2035 से 2038 में शंकर, देवा, सखा पिसरान पदा का नाम लिखा होना सही बताया। वादीगणों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर पुराने ख.नं. 537 मी., 537/3, 543 वादीगणों की खातेदारी साबित होती है। अतः तनकियात नम्बर 1 वादीगणों के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 02– आया पुराने ख.नं. 537 मी., ख.नं. 537/3, ख.नं. 543 के नए ख.न. 1085, 1086 बनाए गए है।
– जिम्मेवादी।

उक्त तनकियात वादीगण को सिद्ध करनी थी। वादीगण ने वादपत्र में वर्णित किया कि दौराने भू–प्रबंध कार्यवाही पुराने ख.नं. 537 मी., 537/3, 543 के नए ख.नं. 1085 रकबा 0. 4100 हेक्टर, व ख.नं. 1086 रकबा 0.3300 हेक्टेयर बनाए गए।

वाद पत्र में वर्णित तथ्यों की पुष्टि में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श–2 मिलान क्षेत्रफल पेश किया। मिलान क्षेत्रफल अनुसार पुराने ख.नं. 543 एवं 537/3 से नवीन ख.नं. 1085 रकबा 0.41 हेक्टर एवं पुराने ख.नं. 543 से नया ख.नं. 1086 रकबा 0.33 बनना प्रमाणित होता है।

वादीगणों के गवाह PW–1 सुखसिंह ने जिरह के दौरान नए खसरा नम्बर 1086 होना स्वीकार किया।

अतः दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर तनकियात नम्बर 2 वादीगणों के पक्ष में साबित होने से उनके पक्ष में निर्णीत की जाती है।

तनकी नम्बर 03– आया ख.नं. 1085, 1086 की आराजी बिना किसी आधार के भू–प्रबंध कार्यवाही के दौरान पूनमा वल्द भाना के नाम खातेदारी दर्ज कर दी। – जिम्मेवादी

उक्त तनकियात को साबित करने की जिम्मेदारी वादीगणों की थी। वादीगणों ने तनकियात के पक्ष में दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–1 जमाबंदी संवत् 2035–38 प्रस्तुत करी जिसके अनुसार पुराने ख.नं. 537मी., 537/3, 543 की खातेदारी वादीगणों के पिता शंकर, चाचा देवा, सखा पिता पदा के नाम होना प्रमाणित है।

वादीगणों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–2 मिलान क्षेत्रफल के अनुसार विवादित नवीन खसरा नम्बर 1085 पुराने खसरा नम्बर 543 एवं 537/3 से बनना प्रमाणित है। एवं नवीन खसरा नम्बर 1086 पुराने ख.नं. 543 से बनना प्रमाणित है।

प्रतिवादी संख्या 1 ने ख.नं. 1085, 1086 स्वयं की खातेदारी होना बताया लेकिन इससे संबंधित कोई साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह प्रमाणित नहीं होता है।

प्रदर्श–3 पर्चा खतौनी संवत 2036 वादीगणों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार पर्चा खतौनी पूनमा के नाम है जिसके विभिन्न कॉलम में दर्ज विवरण निम्नानुसार है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.15 14:32:08 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 08 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

कमश (8) न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, देसूरी मुकदमा नम्बर 28/2011 अनवान ढगलसिंह व अन्य बनाम छोगाराम वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188,92ए आर.टी.एक्ट एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट

खातेदार का नाम कॉलम(1)	खेत का नाम कॉलम (2)	खसरों का विवरण(5)	विशेष विवरण 10
पूनमा/भाना	905	489	ख.न 540,1128 जो कि पुराने ख.नं. है
	973	1086	पुराने ख.नं. 543 व 544 से बनने का विवरण अंकित
	974	1085	पुराने ख.नं. 543 व 537/3 से बनने का विवरण अंकित

पर्चा खतौनी अनुसार भी ख.नं. 1086 एवं 1085 वादीगणों की खातेदारी के पुराने ख.नं. 543, 537/3 से बनना प्रमाणित है। जो कि पूनमा/भाना की खातेदारी नहीं है। अतः उक्त पर्चा खतौनी गलत प्रमाणित होता है।

प्रदर्श 5 व 6 खसरा परिशोधन पत्रक संवत 2035 के विभिन्न कॉलमों में दर्ज विवरण निम्नानुसार है:–

कॉलम नम्बर 1 वर्तमान माप			कॉलम 8 गत भू–माप	कॉलम 22 नाम कृषक गत भू–माप	कॉलम 23 नाम कृषक वर्तमान
क्र. स.	खेत का नाम	ख.नं.	ख.नं.		
1	905	489	537 मी. 540 1128	पूर्व में शंकर, देवा, सूखा, केसा पिता पदा के नाम जिसे काटकर पूनमा/दरोगा किया गया	शंकरसिंह, देवीसिंह, सुखसिंह, केशरसिंह पिता पदा के नाम जिसे काटकर पूनमा/भाना किया गया बिना किसी सक्षम आदेश के।
2	973	1086	543 544	शंकर, देवा, सूखा, केसा पिता पदा के नाम दर्ज	शंकर सिंह वगैरह खातेदार
3	974	1085	543 537/3	शंकर वगैरह	शंकर वगैरह की खातेदारी

उक्त खसरा परिशोधन पत्रक के अनुसार भी ख.नं. 1086 एवं 1085 के खातेदार शंकर, देवा, सूखा वगैरह है। एवं उक्त आराजियात पुराने ख.नं. 543 एवं 537/3 से बनना प्रमाणित [illegible] जो कि वादीगणों की खातेदारी थी।

स्पष्ट है कि सेटलमें[illegible] [illegible] एवं खसरा परिशोधन पत्र विरोधाभासी है एवं पर्चा खतौनी का मिलान [illegible] खसरा परिशोधन एवं जमाबंदी से नहीं होता है। अतः पर्चा [illegible]

वादी गवाहान PW–[illegible] [illegible] दौरान खसरा नम्बर 537, 543 खुद की जमीन होन[illegible] खसरा नम्बर 1086 बनना बताया और सेटलमेंट के दौरान नैनाराम/छोगाराम के नाम [illegible] रूप से चढ़ना बताया। पर्चा खतौनी को गलत बताया है। एवं सेटलमेंट विभाग द्वारा वादी[illegible] की खातेदारी समाप्त कर पर्चा खतौनी में पूनमा/भाना का नाम दर्ज करने से वादीगणों ने विधि अनुरूप वाद के साथ धारा अंतर्गत 136 भी जोड़ा है।

पेज लगातार 09 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.15 14:32:08 IST
Reason: SelfAttested

अतः दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर सेटलमेंट के दौरान ख.नं. 1085 व 1086 की खातेदारी पूनमा/भाना के नाम गलत रूप से दर्ज किया जाना प्रमाणित होता है। अतः उक्त तनकियात वादीगणों के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 04– आया ख.नं. 1086 रकबा 0.3300 हेक्टर, ख.नं. 1085 रकबा 0.4100 हेक्टर की जमीन गलत रिकोर्ड में नाम का फायदा उठाकर पूनमा ने प्रतिवादी को बेचान की गई जो बेचान शून्य है – जिम्मेवादी

उक्त तनकियात को साबित कराने की जिम्मेदारी वादीगणों पर थी। वादीगणों ने वाद पत्र में वर्णित किया कि पूनमा/भाना ने अपने रिकार्ड में गलत नाम होने का फायदा उठाते हुए कब्जा नहीं होते हुए भी नए ख.नं. 1085 रकबा 0.4100 हेक्टर एवं ख.नं. 1086 रकबा 0.3300 हेक्टर आराजियात को प्रतिवादी संख्या एक को जरिए विक्रय विलेख हस्तान्तरित कर दिया जो विक्रय विलेख शून्य है। एवं वादीगण के विरूद्ध बेअसर है। इससे प्रतिवादीगण संख्या 1 को कोई कानूनन खातेदारी अधिकार पैदा नहीं होते हैं एवं उक्त हस्तान्तरण शून्य है। उक्त आराजियात पर प्रतिवादीगणों का कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा।

वादी संख्या 1 मृतक शंकर/पदा के वारिस है एवं वादी संख्या 3 व 4 अभी जीवित है जिन्होंने अपने जीवनकाल में कभी भी अपनी खातेदारी भूमि को पूना वल्द भाना को हस्तान्तरित नहीं की।

प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श A1–A विक्रय विलेख दिनांक 14.12.87 के अनुसार पूनमा/भाना ने अपनी खातेदारी जिसके पुराने खसरा नम्बर 603, 540, 1128, 1143 मी. जो कि A से B तक वर्णित है उसका बेचान नैनाराम पुत्र व आईदान, छोगाराम पुत्र नैनाराम मेघवाल को किया जाना वर्णित किया है जिसके नवीन ख.नं. 1085 एवं 1086 बनना वर्णित किया है जो कि गलत है।

दस्तावेजी साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि ख.नं. 1085 एवं 1086 पुराने ख.नं. 543 एव 537/3 से बने हैं जो कि वादीगण की खातेदारी थी एवं गलतरूपेण दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–3 के द्वारा पूनमा/भाना के नाम दर्ज कर दी गई जिससे पूनमा/भाना को किसी भी प्रकार के अधिकार अर्जित नहीं होते हैं। गलत इंद्राज के आधार निष्पादित किया गया। विक्रय विलेख आरंभ से ही शून्य है और इस दस्तावेज के आधार पर प्रतिवादीगणों को कोई हक अधिकार अर्जित नहीं होते हैं अतः उक्त तनकियात वादीगणों के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 05– आया खसरा नम्बर 1085 रकबा 0.4100 हेक्टर, खसरा नम्बर 1086 रकबा 0.3300 हेक्टर की खातेदारी वादीगण घोषित करवाने के अधिकारी है। – जिम्मेवादी

उक्त तनकियात वादीगणों को साबित करनी थी। दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–1 के अनुसार जमाबंदी संवत् 2035–38 वादीगण शंकर, देवा सखा पिता पदा कौम दरोगा के नाम पुराने ख.नं. 537 मी., रकबा 2 बीघा 15 विस्वा, ख.नं. 537/3 रकबा 1 बीघा 15 विस्वा, ख.नं. 543 रकबा 2 बीघा 12 विस्वा कुल 7 बीघा 2 विस्वा खातेदारी भूमि है।

वादीगण सुखसिंह PW–1, हिम्मतसिंह PW–2 गवाहों के बयानों से वादीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त शुदा भूमि होना मौखिक साक्ष्य से साबित है।

मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–2 के अनुसार पुराने ख.नं. 543 एवं 537/3 से नवीन ख.नं. 1085, 1086 बनना प्रमाणित है। भू–प्रबंध कार्यवाही के दौरान गलत रूप से पर्चा खतौनी प्रदर्श–3 पूनमा/भाना के नाम ख.नं. 1085, 1086 की दर्ज की गई है।

प्रदर्श–4 मिसल बंदोबस्त में पूनमा/भाना के नाम गलत दर्ज की गई। खसरा परिशोधन पत्रक प्रदर्श 5 व 6 के अनुसार ख.नं. 543 एवं 537/3 से नवीन ख.नं. 1085, 1086 बनना प्रमाणित एवं इस नवीन खसरे के खातेदार वादीगण शंकर वगैरह होना प्रमाणित है।

अतः उक्त दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर वादीगण ख.नं. 1085 एवं 1086 की खातेदारी घोषित कराने के अधिकारी है। उक्त तनकियात वादीगण के पक्ष में साबित होने से यह तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

पेज लगातार 10 पर....

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.15 14:32:08 IST
Reason: SelfAttested

तनकी नम्बर 06– आया वादीगण निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है – जिम्मेवादीगण

उक्त तनकियात साबित करने की जिम्मेदारी वादीगण की है। दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श EX–1 जमाबंदी संवत 2035–38 के अनुसार गत ख.नं. 537 मी., 543, 537/3 कुल किता 3 रकबा 7 बीघा 2 विस्वा वादीगण शंकर, देवा, सखा पिता पदा की खातेदारी भूमि है जिससे वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

प्रदर्श EX–2 मिलान क्षेत्रफल के अनुसार नवीन खसरा नंबर 1085 एवं 1086 पुराने ख.नं. 543, 537/3 से बनना प्रमाणित होता है। PW–1 मौखिक साक्ष्य के मुताबिक उक्त भूमि पर प्रतिवादी का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। जिससे वादीगण खातेदार स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है अतः यह तनकी भी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 07– आया वादग्रस्त आराजी रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 14.12.87 के प्रतिवादी ने खरीद की हो जो विधिपूर्ण एवं वैध अन्तरण है जो स्टेण्ड है – जिम्मेप्रतिवादी

यह तनकी प्रतिवादी को साबित करनी थी। दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श A1–A रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 14.12.87 वादीगण गवाह सुखसिंह PW– 1 के अनुसार वादग्रस्त आराजी पूनमा वल्द भाना एवं छोगाराम पुत्र नैना का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। वादीगण का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। पूनमा वल्द भाना ने प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में जो विक्रय विलेख निस्पादित किया है वो शून्य है। वादीगण संख्या 1 व 2 मृतक शंकर पुत्र पदा के वारिस हो एवं वादी संख्या 3 व 4 भी जीवित है जिन्होंने अपने जीवनकाल में अपनी खातेदारी भूमि को पूना वल्द भाना को हस्तान्तरण नहीं की एवं वादीगण ने कभी भी प्रतिवादी संख्या 1 को भूमि हस्तांतरण नहीं की। फिर भी सेटलमेंट विभाग ने गैर कानूनी रूप से वादीगण की पुरानी खातेदारी भूमि को बिना अधिकारिता के पूनमा वल्द भाना के नाम दर्ज कर दी। सेटलमेंट विभाग का ऐसा इन्द्राज शून्य है।

पूनमा वल्द भाना ने गलत नाम का फायदा उठाकर उक्त जमीन प्रतिवादी संख्या 1 को हस्तान्तरण कर दी जो हस्तान्तरण विक्रय विलेख शून्य है।

रजिस्टर्ड विक्रय विलेख प्रदर्श A1–A दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2019 से 2022 के अनुसार दर्ज पूनमा वल्द भाना कौम दरोगा के नाम गत ख.नं. 603 रकबा 1 बीघा 17 विस्वा, ख.नं. 540 रकबा 1 बीघा 1 विस्वा, ख.नं. 1128 रकबा 1 बीघा 1 विस्वा कुल रकबा 3 बीघा 19 विस्वा भूमि एवं खसरा नम्बर 1143 रकबा 4 बीघा भूमि खरीद की गई। जो उक्त भूमि पूनमा वल्द भाना की खातेदारी भूमि है। न कि ख.नं. 537 मी., 537/3 व 543 की रकबा क्रमशः 2 बीघा 15 विस्वा, 1 बीघा 15 विस्वा व 2 बीघा 12 विस्वा कुल 7 बीघा 2 विस्वा का वादीगण ने कोई विक्रय नहीं किया है। जिससे रिजस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 14.12.87 का शून्य है। अतः यह तनकी प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 08– आया वादीगण ने कब्जा प्राप्त करने का वाद नहीं किया है – जिम्मे प्रतिवादी

यह तनकी प्रतिवादी को साबित करनी थी। वादीगण का गत खसरा नम्ब्र एवं मिलान क्षेत्रफल के अनुरूप बनाए ख.नं. जमाबंदी सम्वत 2035 से 2038 के अनुसार वादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त शुदा भूमि है जिससे कब्जा प्राप्त करने का वाद प्रस्तुत करना अपेक्षित प्रतीत नहीं होता है। प्रतिवादी उक्त तनकी ... हेतु असफल रहा है जिससे यह तनकी भी प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की ... है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.15 14:32:08 IST
Reason: SelfAttested

तनकी नम्बर 09– आया कानूनन ... घोषित नहीं की जा सकती है। –जिम्मेवादी

यह तनकी प्रतिवादी को साबित करनी थी चूंकि रा... रिकोर्ड जमाबंदी सम्वत 2035 से 2038 प्रदर्श EX–1 के अनुसार गत ख.नं. 537 मी., 537/3 एवं 543 के कुल रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा भूमि वादीगण को खातेदारी भूमि दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल EX–2 के अनुसार बने नए ख.नं. 1085, 1086 पर वादीगण खातेदार है। एवं वादीगण का कब्जा काश्त होना गवाह

पेज लगातार 11 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

वादीगण PW- 1 से साबित होना जाहिर है। सेटलमेंट विभाग ने प्रदर्श-2 के द्वारा पूनमा वल्द भाना के नाम वादीगण के नाम की खातेदारी का गलत इंद्राज कर पर्चा खतौनी बताई गई है जो दुरूस्ती योग्य है जो कि वादीगण गत खसरा नम्बरान के खतेदार होने से वादीगण खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः उक्त तनकियात प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

उपर्युक्त तनकीवार विवेचन के आधार पर तनकी न 1, 2, 3, 4, 5, 6 वादीगणों के पक्ष में निर्णित हुई है एवं तनकी नम्बर 7, 8, 9 जो कि प्रतिवादीगणों को सिद्ध करनी थी वह प्रतिवादीगणों के विरूद्ध निर्णित हुई है।

अतः न्यायालय की राय में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर वादीगणों के पक्ष में निर्णित किया जाना एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित समझता है। अतएव

आदेश

वादीगणों द्वारा प्रस्तुत वाद अंतर्गत राज. काश्त अधिनियम 1955 की धारा 88, 89, 188, 92ए एवं भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर 1085 रकबा 0.4100 हेक्टर ख.नं. 1086 रकबा 0.3300 हेक्टर की खातेदारी ढगलसिंह, शंभूसिंह, मृतक देवा के वारिसान सखा वादीगणों की घोषित की जाकर प्रतिवादी सख्या 1 छोगाराम/नैनाराम का नाम हटाए जाने के आदेश दिए जाते है एवं वादीगण की पुरानी खातेदारी का इंद्राज पुराने इंद्राज के मुताबिक नए रिकोर्ड में किया जावे।

प्रतिवादी सख्या 1 छोगाराम/नैनाराम के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि वह वादीगणों के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करे, जमीन को खुर्द-बुर्द नहीं करे। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार देसूरी को निर्णय एवं डिक्री पर्चा की सत्यापित प्रति तहरीर के साथ पालनार्थ भिजवाए जावे। पत्रावली फैसल शुमार को दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलेक्टर
देसूरी
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

निर्णय आज दिनांक 31/8/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.15 14:32:08 IST
Reason: SelfAttested

वाद में फाईनल डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी देसूरी (पाली)
इजलास श्रीमती राजलक्ष्मी गहलोत आर ए एस

वादीगण :–

1. ढगलसिंह पुत्र शंकरजी, आयु–बालिग
2. शम्भुसिंह पुत्र शंकरजी, आयु–बालिग
   जातिगण–दरोगा(रावणा राजपुत), निवासीगण–कोट सोलंकीयान, तहसील–देसूरी, जिला–पाली (राज.)
3. मृतक देवा उर्फ देवीसिंह पुत्र श्री पदाजी के वारिसान
   (अ)– उषा कंवर पुत्री देवा उर्फ देवीसिंह, पत्नी भंवरसिंह, जाति–रावणा राजपुत निवासी–दुजाणा, तहसील–बाली, जिला–पाली, राज.
   (ब)– पवन कंवर पुत्री देवा उर्फ देवीसिंह, पत्नी बाबुसिंह, जाति–रावणा राजपुत निवासी–फालना, तहसील–बाली, जिला–पाली, राज.
   (स)– शारदा कंवर पुत्री देवा उर्फ देवीसिंह, पत्नी अमरसिंह, जाति–रावणा राजपुत निवासी–सोजत, तहसील–सोजतसिटी, जिला–पाली, राज.
   (द)– लक्ष्मी कंवर पुत्री देवा उर्फ देवीसिंह, पत्नी सोहनसिंह, जाति–रावणा राजपुत निवासी–रानी, तहसील–रानी, जिला–पाली, राज.
   (य)– ओमप्रकाश पुत्र देवा उर्फ देवीसिंह, जाति–रावणा राजपुत निवासी–कोट सोलंकीयान, तहसील–देसूरी, जिला–पाली, राज.
4. सखा उर्फ सुखसिंह पुत्र श्री पदाजी, आयु–बालिग जाति–दरोगा (रावणा राजपुत), निवासी–कोट सोलंकीयान, तहसील–देसूरी, जिला–पाली, (राज.)

–: विरूद्ध :–

प्रतिवादीगण :–

1. छोगाराम गोदपुत्र नेना आयु–वयस्क, जाति–मेगवंशी, निवासी–कोट सोलंकीयान, तहसील–देसूरी, जिला–पाली (राज.)
2. श्रीमान तहसीलदार साहब, देसूरी (राज्य सरकार की ओर से भूमिधारी)

कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188, 92,ए राजस्थान सरकार काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

मुकदमा नम्बर :– नया 32/18 एवं पुराने वाद संख्या 262/2015

यह मुकदमा आज वास्ते इसफिसल कतई रूबरू हमारे व हाजरी वकील वादीगण श्री हुकुमसिंह सोलंकी मुदई वकील प्रतिवादीगण श्री भरत सोलंकी मिनजाविब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादीगणों द्वारा प्रस्तुत वाद अंतर्गत राज. काश्त अधिनियम 1955 [illegible] 88, 89, 188, 92ए एवं भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत स्वीकार [illegible] खसरा नम्बर 1085 रकबा 0.4100 हेक्टर ख.नं. 1086 रकबा 0.3300 [illegible] ढगलसिंह, शंभूसिंह, मृतक देवा के वारिसान सखा वादीगण [illegible] जाकर प्रतिवादी सख्या 1 छोगाराम/नैनाराम का नाम हटाए जाने के आदेश दि[illegible]ाते है एवं वादीगण की पुरानी खातेदारी का इंद्राज पुराने इंद्राज के मुताबिक नए रिकोर्ड में किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.15 14:32:08 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 02 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

प्रतिवादी सख्या 1 छोगाराम/नैनाराम के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि वह वादीगणों के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करे, जमीन को खुर्द-बुर्द नहीं करे। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार देसूरी को निर्णय एवं डिक्री पर्चा की सत्यापित प्रति तहरीर के साथ पालनार्थ भिजवाए जावे। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करेंगे।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलेक्टर
देसूरी
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31 माह 08 सन् 2022 को जारी किया गया।

मोहर
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

मुददई	रूपये	पैसे	मुददायना	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस गवाहन			बाबत इजराय हुक्म नामा मुल्कफिक		
फीस कमीश्नर			मिजान		
बाबत इजराय हुक्म नामा					
मिजान					

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.15 14:32:08 IST
Reason: SelfAttested